

प्रेषक,
श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ।
(2) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक १४ जुलाई, 2014

विषय: नागर निकायों में विद्युत के दुरुपयोग पर नियंत्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम०-67 / 9-9-2011-203ज / 12 दिनांक 24 जुलाई, 2012, पत्र संख्या एम०-79 / 9-9-2011-203 ज / 12, दिनांक 25 अगस्त, 2012 एवं पत्र संख्या-358 / नौ-9-2011, दिनांक 19.02.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नागर निकायों में विद्युत के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।


2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नागर निकायों में विद्युत बिलों के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करते हुये शासनादेश संख्या-358 / 9-9-2011-203ज / 12 दिनांक 19 फरवरी, 2013 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि नागर निकायों में स्ट्रीट लाइट, एस०टी०पी० तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं के सम्बन्ध में जो भी विद्युत बिल उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा प्रेषित किये जाते हैं, उनका शत-प्रतिशत परीक्षण सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारियों एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। नगर निगमों में नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी उक्त संयुक्त समिति का सदस्य होगा तथा उ०प्र० पावर कारपोरेशन की ओर से अधिकारी का नामांकन, यदि नागर निकाय मण्डल मुख्यालय पर स्थित हो तो, मण्डलायुक्त द्वारा अन्यथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। शेष नागर निकायों में निकाय के प्रतिनिधि एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन के प्रतिनिधि दोनों का ही नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति की अनुशंसा के अनुरूप ही विद्युत बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि नागर निकायों की स्ट्रीट लाइट व अन्य गतिविधियों के विद्युत बिल, जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा प्रेषित किये जाते हैं, उसका वस्तुनिष्ठ परीक्षण/सत्यापन नहीं किया जाता है और काफी अधिक बिलिंग की जा रही है, जिसे नगरीय निकायों पर अतिरिक्त व्ययभार आ रहा है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में जितनी विद्युत यूनिट का उपभोग किया गया है, प्रस्तुत किया गया बिल उतने ही यूनिट का है या नहीं?

4. अतएव नागर निकायों में उ०प्र०पावर कारपोरेशन द्वारा प्रेषित विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोकते हुये सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नागर निकायों को विद्युत विभाग द्वारा प्रेषित बिलों का शत-प्रतिशत परीक्षण सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारियों एवं उ०प्र०पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा कराया जाय तथा प्रत्येक नागर निकायों द्वारा विद्युत बिलों की प्रमाणिकता का सत्यापन प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध में शासन द्वारा अग्रिम आदेश निर्गत होने के पश्चात ही विद्युत बिलों का भुगतान किया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


भवदीय,


(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-820 (1) / नौ-9-2014-203ज / 12

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, मा०मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र०।
 2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
 3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र०शासन।
 4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
 5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
 6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 7. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ)
 8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


28/7/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।